फरीदाबाद

मजदूर समाचार

राहें तलाशने - बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

दुख: बाँटने से कम होते हैं।
खुशी बाँटने से बढ़ती है।
— इन्सानियत समाचार

नई सीरीज नम्बर 154 अप्रेल 2001

जत्थे-टोलियाँ-नई बिरादरियाँ

एक खत : " .... समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिल रहा... चुपचाप बैठ जाते हैं.... कर भी क्या सकते हैं... हर समय डर रहता है कि फिर अपनी नौकरी से हाथ न धो बैठूँ .... 1997 से 1999 तक सी एम.आई. में चपरासी के पद पर कार्यरत था... पहले मुझे कम्पनी की तरफ से रखा फिर ब्रेक कर दिया और कहा कि ठेकेदार के खाते में तुम्हारा नाम रहेगा, पैसा व काम वही रहेगा। बेरोजगारी के चक्कर में मैंने सोचा ' हाँ जी की नौकरी, नाँ जी का घर ' इसलिये मैंने तय कर लिया कि काम तो कहीं न कहीं करना ही है तो क्यों न यहीं पड़े रहो। दो साल बाद एक दिन अचानक सेक्युरिटी गार्ड ने कहा कि तुम्हारा ब्रेक हो गया... मैं साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि अभी काम ढीला चल रहा है, एक महीने बाद आना .... अब सात महीने से मैं लखानी शूज में काम कर रहा हूँ .... ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिया है, शायद किसी को भी नहीं दिया होगा .... पर मरता क्या न करता, नौकरी कर रहा हूँ... और यहाँ का कार्य प्रोडक्शन का है। यदि आपकी तबीयत खराब है तो भी ड्युटी के बाद रुक कर आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा या फिर रिजाइन दे कर नौकरी छोड़ दो .... काम करते समय दो बार मेरा हाथ मशीन में आ गया जिसके कारण मुझे ई.एस.आई. कार्ड की जरूरत पड़ी तो टाइम आफिस वाले बोले कि मार्च के बाद मिलेगा .... मैनेजमेन्ट हर महीने प्रोडक्शन बढा कर माँगती है और साथ ही क्वालिटी भी माँगती है। लखानी शूज की नौकरी में इतना दुख है कि मैं ही नहीं बल्कि किसी भी लड़के के दिल से पूछो ... इतनी बेरोजगारी होनें पर भी हम नौकरी छोड़ने की सोचने को मजबूर हैं।"

ईस्ट इण्डिया कॉटन मिल मजदूर : " सितम्बर 1996 में फैक्ट्री में तालाबन्दी के बाद दैनिक खर्च चलाने और लड़की की शादी की चिन्ता आदि में हम में से 30-40 पागल हो गये हैं और इतने ही मर गये हैं। पाँच साल से हर समय यही सवाल मन-मस्तिष्क पर छाये रहते हैं : ' देखो कम्पनी का क्या होता है ? क्या फैसला होता है ? कब खुलेगी ? हिसाब भी मिलेगा कि नहीं ?' बिना नौकरी के आज की दुनियाँ में रोटी तक का ठिकाना नहीं। जिनकी उम्र मेरी तरह कुछ कम है वे इधर-उधर हाथ-पैर मार कर किसी न किसी नौकरी-धन्धे में लगते रहे हैं। लेकिन जिनकी आयु ज्यादा है वे नाखुन टिकाने तक का जुगाड़ कर पाने में परेशान हैं और रोटी-पानी तक की भारी दिक्कत का सामना कर रहे हैं।"

अकेले-अकेले की असहायता और भीड़ की गुमनामी वर्तमान व्यवस्था को रास आते हैं। "व्यक्ति का होना-न होना बराबर " की इस स्थिति से अधिक पीड़ादायक कोई हालात किसी के लिये शायद ही हों। ऐसे में " मैं भी कुछ हूँ", "मैं कुछ कर दिखाऊँगी" के फेर में रेलम-पेल होना प्रत्येक की नियती-सी बन जाते हैं। तन-मन-मस्तिष्क के हमारे अजीबो-गरीब करतब हरेक को जीवन-भर दुखद हँसी-ठट्ठा की चीज में बदल देते हैं। छिछली, ओढी-ओढाई गम्भीरता और सतही, कटु-कड़वी प्रसन्नता ..... बन कर निकलने के प्रयास ट्रेजी-कॉमिक से अधिक कुछ नहीं होते।

बात तो ठीक है लेकिन ...:

किया क्या जाये ? लोग तैयार नहीं हैं। लोगों की समस्यायें हैं, समस्यायें ज्यादा हैं, समस्यायें ही समस्यायें हैं। कैसे करूँ ? क्या करूँ ? हर कोई सोचती-सोचता है, बस सोचते ही हैं। अगर थोड़ा-थोड़ा कर के करें तो रास्ते निकल सकते हैं। सोचने-सोचने में पूरा खेल बिगड़ जाता है क्योंकि करते नहीं....

ज्यादा लोग इसी असमंजस में हैं कि क्या किया जाये ...

उपरोक्त बातें आपसी चर्चाओं में हम अक्सर करते हैं। इसलिये यह कहना बनता है कि "करने में" आमतौर पर लोग कमी नहीं छोड़ते। हाँ, सोचते भी हम खूब हैं इसलिये जब-तब कही जाती बात, " लोग सोचते नहीं ", भी तथ्यों पर आधारित नहीं है।

दरअसल हमारी समस्या " करने-सोचने में कमी " की नहीं है। मसला जिस पर हमें मन्थन करने की आवश्यकता है वह है : कौन-कौन सी " करनी " और कौन-कौन सी " सोच " हमारे लिये हानिकारक हैं और कौन-कौन सी हमारे हित में हैं।

असहायता-गुमनामी के पार

सुरसा की तरह बढती अमूर्त-चेहराविहीन संस्थाओं व संस्थातन्त्रों के सम्मुख व्यक्ति की असहायता बढ रही है। और, गुमनामी इस कदर छाये जा रही है कि समाज में व्यक्ति अधिक से अधिक तौर पर एक सँख्या बनते जा रहे हैं।

समाधान है ऐसी समाज रचना जहाँ व्यक्ति का महत्व हो। क्या-क्या होने चाहियें उसमें ? और, कैसे उसकी स्थापना होगी ?

यहाँ से वहाँ

कोई चाहे या न चाहे, तत्काल की समस्याओं से निपटना ही पड़ता है। और, तत्काल की समस्याओं से निपटने के हमारे तरीके ऐसे हो सकते हैं कि नई समाज के अंकुर बनें।

अकेले और भीड़ के बीच, असहायता और गुमनामी के बीच कई ऐसे सहज-सरल गठन हैं जिन्हें हम आत्मीयता से टोली कह सकते हैं। हमारे पुरखे कई प्रकार के आत्मीय जोड़ बनाते थे और हम भी ऐसे अनेकों जोड़ बनाते हैं।

आठ-दस लोगों का जोड़ अकेलेपन की असहायता से निजात दिलाता है। फैक्ट्री-दफ्तर-मोहल्ले-गाँव-नगर में अपनी दैनिक समस्याओं से जूझने के लिये आठ-दस की जत्थेबन्दी आसान है। शायद इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है : अपनी टोली में, अपने आठ-दस के बीच हर एक का महत्व होना। प्रत्येक का अपना-अपना महत्व ही हर एक के जीवन को जीवन्तता देता है।

जरूरी हैं नई बिरादरियाँ

गुमनामी से मुक्त करते हमारे अपने आठ-आठ, दस-दस के जोड़ों को तोड़ने के लिये भीड़-रूप उभारने की प्रक्रिया वर्तमान में निरन्तर चलती है। हमारे आठ-दस के जोड़ को तोड़ने के लिये, हमारी टोलियों को ग्रसने के लिये जाति, धर्म, क्षेत्र, संस्था, देश के रूप में एकता डिमान्ड करने वाले अनेकों अखाड़े हैं। ऐसे में अपनेपन वाले अपने गठनों का महत्व पहचानने और उनके पक्ष-पोषण के लिये सचेत प्रयास आवश्यक हैं। (बाकी पेज तीन पर)

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद-121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

कानून हैं शोषण के लिये और छूट है कानून से परे शोषण की

कानून हैं – ●साप्ताहिक छुट्टी के बाद हरियाणा में हैल्पर को इस समय महीने की कम से कम तनखा 1964 रुपये 58 पैसे, अर्ध- कुशल (क) को 2014 रुपये 58 पैसे , अर्ध- कुशल (ख) को 2039 रुपये 58 पैसे , उच्च कुशल मजदूर को 2164 रुपये 58 पैसे कम से कम ; ●जहाँ एक हजार से कम मजदूर हैं वहाँ वेतन 7 तारीख से पहले और जिस कम्पनी में हजार से ज्यादा हैं वहाँ 10 तारीख से पहले ; ●स्थाई काम के लिये स्थाई मजदूर , आठ महीने लगातार काम करने पर परमानेन्ट ; ●ओवर टाइम समेत एक हफ्ते में 60 घण्टों से ज्यादा काम नहीं लेना ,तीन महीनों में 75 घण्टों से ज्यादा ओवर टाइम काम नहीं , ओवर टाइम के लिये पेमेन्ट डबल रेट से ; ●फैक्ट्री शुरू होने के पहले दिन से प्रोविडेन्ट फण्ड , मजदूर के वेतन (बेसिक व डी.ए.) से 10 प्रतिशत काटना और 10 प्रतिशत कम्पनी ने देना , हर महीने 15 तारीख से पहले यह 20 प्रतिशत राशि मजदूर के भविष्य निधि खाते में जमा करना ; ●फैक्ट्री में एक घण्टे की ड्युटी पर भी ई.एस.आई. ; ●कैजुअल व ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों को भी 20 दिन पर एक दिन की अर्न्ड छुट्टी तथा त्यौहारी छुट्टियाँ; ●परमानेन्ट- कैजुअल- ठेकेदार के जरिये रखे मजदूरों को एक जैसे काम के लिये समान , बराबर वेतन ;● ....

भाई मिक्सर वरकर : "कहा है कि फरवरी का वेतन हम गार्डों को आज 13 मार्च को देंगे। हमें साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं देते।"

एजिको कन्ट्रोल मजदूर : "फरवरी की तनखा आज 15 मार्च तक नहीं दी है। वेतन का कोई समय निश्चित नहीं है – मैनेजमेन्ट 25 तारीख कर देती है। 11 महीनों के ओवर टाइम के पैसे नहीं दिये हैं। बोनस शब्द तो मैनेजमेन्ट के शब्दकोष में ही नहीं है।"

इन्जेक्टो वरकर : "फरवरी का वेतन आज 22 मार्च तक नहीं दिया है। कैजुअल वरकरों को ई.एस.आई. कार्ड नहीं , फण्ड की पर्ची नहीं और 1640 रुपये महीना देते हैं। निकाल देते हैं तब फण्ड का फार्म भर कर नहीं देते। तीन महीनों में ब्रेक कर कैजुअल वरकरों को दूसरे नाम से फिर रख लेते हैं।"

कोन्डोर पावर प्रोजेक्ट मजदूर : "जबरन ओवर टाइम काम करवाते हैं। हर दूसरे- तीसरे दिन हमें 20 घण्टे तक काम करना पड़ता है और इस दौरान मैनेजमेन्ट खाना- चाय- मट्ठी कुछ नहीं देती। इस प्रकार करवाती ओवर टाइम के 6 महीनों के पैसे भी मैनेजमेन्ट ने हमें नहीं दिये हैं। ई.एस.आई. कार्ड और प्रोविडेन्ट फण्ड की पर्ची भी हमें नहीं दी हैं।"

नवभारत इन्डस्ट्रीज वरकर : "फरवरी का वेतन हमें आज 22 मार्च तक नहीं दिया है।"

आटोपिन मजदूर : " 16/5 मथुरा रोड़ प्लान्ट में फरवरी का वेतन आज 16 मार्च तक हमें नहीं दिया है। एक- दो दिन का गैप दे कर 4- 6- 8 घण्टे ओवर टाइम काम करवाते हैं पर 8 महीनों के ओवर टाइम के पैसे नहीं दिये हैं।"

सुप्रीम इन्टरप्राइजेज वरकर : "हैल्परों को 1200 रुपये और ऑपरेटरों को 1800 रुपये महीना देते हैं। एक्सीडेन्ट बहुत होते हैं। हैल्परों को ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं।"

रेक्सोर मजदूर : "10 घण्टे की ड्युटी लेते हैं और 8 घण्टे के पैसे देते हैं। न तो साप्ताहिक और न कोई त्यौहारी छुट्टी। दस घण्टे के 77 रुपये 50 पैसे।"

गैरीसन इंजिनियरिंग वरकर : "हैल्परों को 1400 रुपये महीना देते हैं। फरवरी का वेतन आज 17 मार्च तक नहीं दिया है।"

आटोपिन मजदूर : "इन्डस्ट्रीयल एरिया प्लान्ट में जनवरी माह की तनखा भी मैनेजमेन्ट ने आज 15 मार्च तक नहीं दी है।"

बाकमैन इन्डस्ट्रीज वरकर : "गेट के अन्दर 4 और कम्पनियाँ हैं। ज्यादातर मजदूरों को 1300- 1400 रुपये महीना देते हैं और ई.एस. आई. कार्ड व फण्ड की पर्ची नहीं देते।"

ओसवाल इलेक्ट्रिकल्स मजदूर : "वैल्डरों, प्लम्बरों और इलेक्ट्रिशियनों को जनवरी व फरवरी की तनखायें आज 21 मार्च तक नहीं दी हैं – जनवरी के वेतन में से हमें मात्र 500- 600 रुपये एडवान्स दिये हैं।"

टालब्रोस वरकर : "प्लॉट 365 सैक्टर–24 प्लान्ट में हम 65 मजदूरों में से 45 को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं देते , ई.एस. आई. कार्ड नहीं दिये हैं और न फण्ड की पर्ची।"

फर आटो मजदूर : "फरवरी की तनखा आज 16 मार्च तक नहीं दी है। एक साल के ओवर टाइम काम के पैसे बकाया हैं और अब मैनेजिंग डायरेक्टर कहता है कि पैसे नहीं दूँगा , जिसने ओवर टाइम के लिये रोका था उससे पैसे माँगो।"

आर.बी. इन्टरप्राइजेज वरकर : "कम्पनी के पास आई.एस.ओ. का लेबल है। 12- 12 घण्टे की दो शिफ्ट में हम 60 मजदूर काम करते हैं। हैल्परों को 1200 रुपये महीना वेतन देते हैं – पैसे 7 तारीख को देने शुरू करते हैं और 25 तारीख तक जा कर सब को देते हैं।"

एलपिया पैरामाउन्ट मजदूर : "25 सैक्टर स्थित फैक्ट्री में हम 200 वरकर काम करते हैं पर हम में से 90 को ही ई.एस.आई. कार्ड दिये हैं, 110 को नहीं। हम में से 90 को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन देते हैं पर वह भी हैल्पर ग्रेड का और 110 लोगों को 1200 रुपये महीना देते हैं। ओवर टाइम की पेमेन्ट सिंगल रेट से करते हैं पर हस्ताक्षर डबल रेट पर करवाते हैं। ओवर टाइम जबरन करवाते हैं , मना करो तो अगले दिन गेट रोक देते हैं।"

ए.सी. आटो इंजिनियरिंग वरकर : "हम 10 में से 8 को ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं। तनखा दो- तीन किश्तों में देते हैं।"

सुपर स्टील मजदूर : "दो- चार की तो कह नहीं सकते , बाकी को ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं। वेतन 1500- 1600 रुपये महीना।"

मोडरम वरकर : "5 बी सैक्टर–4 में हम 75 मजदूर काम करते हैं। हम में से 45 को 1000- 1100 रुपये और 30 को 1500- 1600 रुपये महीना देते हैं। हम में से ज्यादातर को ई. एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं।"

एस्कोर्ट्स वरकर : "प्रचार किया था कि ई.एस.आई. से अच्छी मेडिकल बीमा योजना है। चोट लगने पर इलाज ,मेडिकल छुट्टियों के पैसे और नुकसान की क्षतिपूर्ति का ई.एस.आई में प्रावधान है। लेकिन एस्कोर्ट्स की पर्सनल एक्सीडेन्ट पॉलिसी में मेडिकल छुट्टी के दौरान का वेतन लोगे तो दवाइयों व डॉक्टरी खर्च के रूप में वेतन का 25 प्रतिशत तक ही दिया जायेगा और....और नुकसान की क्षतिपूर्ति लोगे तो मेडिकल छुट्टियों का वेतन नहीं दिया जायेगा तथा न ही इलाज का खर्च दिया जायेगा। हद तो यह की है कि एक्सीडेन्ट होने पर मेडिकल छुट्टियों के दिनों को एल टी ए का हिसाब लगाते समय मैनेजमेन्ट अनुपस्थितियाँ दिखाती है।"

मैनेजमेन्टों की लगाम

हर कार्यस्थल पर हजारों तार होते हैं ; हजारों नट- बोल्ट होते हैं ; नालियाँ- सीवर होते हैं ; कई- कई ऑपरेशन होते हैं ; रात- दिन को लपेटे शिफ्टें होती हैं। इसलिये मैनेजमेन्टों को रोकने- डाटने के लिये मजदूरों के हाथों में कारगर लगाम हैं : ✶ पाँच साल दौड़ने वाली मशीनें छह महीनों में टें बोल दें ; ✶ कच्चा माल- तेल- बिजली उत्पादन के लिये आवश्यक मात्रा से डेढी- दुगनी इस्तेमाल हो ; ✶ ऑपरेशन उल्टे- पल्टे हो कर क्वालिटी को गँगा नहा दें ; ✶ बिजली कभी कड़के , कभी दमके , कभी आँख- मिचौनी करने मक्का- मदीना चली जाये ; ✶ अरजेन्ट मचा रखी हो तब ऐसे ब्रेक डाउन हों कि साहबों को हृदय रोग हो जायें।

बिना किसी प्रकार की झिझक के , शान्त मन से , ठन्डे दिमाग से सोच- विचार कर कदम उठाने चाहियें।

खतों से -

बेच रहा हूँ चने कुरमुरे ·
लेकिन उनको कौन खरीदे ?
फास्टफूड की दुकानों पर
विलासिता की भीड़ लगी है ,
दो की जगह चार ले कर भी
महिमामंडित हुई ठगी है ,
मैं अन्धों के बीच बैठ कर
व्यर्थ काढता रहा कसीदे ।
कर्ज लदे अपने ग्राहक हैं :
रिक्शेवाले , ठेलेवाले ;
चपरासी, मजदूर , भिखारी
जूठन खा कर पलने वाले ;
फिर उधार बेचा हरेक को
चाहे पैसे दें कि नहीं दें ।

— राजेन्द्र , लखनऊ

10 साल... अन्ततः सुप्रीम कोर्ट ने केकड़ी क्षेत्र (राजस्थान) की चार साथिनों को .... सशर्त बहाल करने के आदेश जारी किये .... प्रत्येक साथिन को बिना किसी दोष के 39,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है.... सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उसका श्रमिक विरोधी रुझान झलकता है ,जो कि देश में चल रही गरीब विरोधी नीतियों का हिस्सा है... अब राजस्थान सरकार ने साथिन कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी कर ली है...

— आरती व किरण , अजमेर

सरकार तोड़ रही है ,
एक के बाद एक करार ।
मजदूरों को कर रही है ,
हर पल दरकिनार ।।

—मुबारिक हुसैन ,
सुवासरा मंडी (म.प्र.)

जत्थे-टोलियाँ-नई बिरादरियाँ

(पेज एक का शेष)

उठ- बैठ के हमारे ठीये हमारी टोलियों की जान होते हैं। वर्तमान व्यवस्था ने अपना तीसरा- चौथा नेत्र हमारे बैठक स्थलों को भस्म करने के लिये खोला हुआ है। इसलिये अपने पुराने ठीयों की भेदभाव वाली कमियों को दूर करते हुये उनके संरक्षण के प्रयास के संग- संग नये बैठकी स्थानों की रचना आवश्यक है।

बतियाते- बतियाते पुरानी बिरादरियों के गुणों को ग्रहण करते और दोषों को त्यागते , सहजता से नई बिरादरियों की रचना की जा सकती है। हाँ , नई बिरादरियाँ जो इन्सानों- इन्सानियत के संग- संग अन्य जीवों को ही नहीं बल्कि निर्जीवों को भी महत्व देंगी। और, क्षेत्र- संस्था विशेष की तो बिसात ही क्या , टोलियों के सहस्त्रों रँग- रूप के तालमेलों में सम्पूर्ण पृथ्वी को आत्मीय रिश्तों में सराबोर करने की क्षमता दिखती है। (जारी)

हाल-चाल यह है

एस्कोर्ट्स मजदूर : " एनसिलरी (ऑटोकम्पोनेन्ट्स) में मैनेजमेन्ट हम कैजुअल वरकरों से सिंगल रेट पेमेन्ट पर जबरदस्ती ओवर टाइम करवाती है। मना करने पर साहब लोग कहते हैं कि कल से ड्युटी मत आना और कार्ड उठा लेते हैं। ओवर टाइम की पेमेन्ट भी हर महीने नहीं दी जाती बल्कि 5 महीने हो जाने पर निकालते हैं तब दी जाती है और कइयों को तो ओवर टाइम काम के पैसे दिये ही नहीं जाते। हम से सुपरवाइजर बहुत उल्टा- सीधा बोलते हैं , बेइज्जती करते हैं। मशीन में फाल्ट बताने पर कहते हैं कि खुद ठीक करो , बस की नहीं है तो चले जाओ। हम ने आई.टी.आई. की है और हम से मशीनें ऑपरेट करवाते हैं पर देते हमें 76 रुपये रोज के हिसाब से हैं।"

सुपर ऑयल सील वरकर : "धन की तो कहें ही क्या , यहाँ तो न तन रहा और न मन रहा — सब कुछ बेकार कर दिया है कम्पनी ने।"

त्रिकुटा मैटल मजदूर : " हैल्परों की तो बिलकुल मौत बराबर जिन्दगी है। तनखा इतनी कम है कि दो वक्त रोटी खाना मुश्किल हो रहा है। अधिकतर हैल्पर 15 या 16 वर्ष की उम्र के भर्ती किये जाते हैं। बोलने पर फैक्ट्री से बाहर कर देते हैं। थोड़ा लेट हो जाते हैं तो गालियाँ देते हैं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं और न ही फण्ड की पर्ची।"

गुडईयर वरकर : "आदमी शोर्ट कर दिये हैं — जहाँ 5 लगते थे वहाँ 4 कर दिये हैं। वर्क लोड में वृद्धि कर दी है। कहने को वी आर एस लगाई है पर वालेन्टरी तो कागज पर है , मैनेजमेन्ट दबाव डाल कर नौकरी छोड़ने को मजबूर कर रही है।"

एस्कोर्ट्स मजदूर : "हम कैजुअल वरकरों को फार्मट्रैक प्लान्ट की पेन्ट शॉप में मास्क नहीं देते — हर साँस के संग हमें रँग- रसायन फेफड़ों में ले जाने पड़ते हैं। हमें महीने में एक जोड़ी दस्ताने देते हैं पर वे दस्ताने ऐसे हैं कि एक दिन में ही खराब हो जाते हैं और सफाई- वफाई करते समय हमें हाथ- चमड़ी केमिकलों में गलाने पड़ते हैं।"

सुपर बाजार वरकर : " दिसम्बर , जनवरी और फरवरी की तनखायें हमें आज 19 मार्च तक नहीं दी हैं। हम वेतन माँगते हैं तो मैनेजमेन्ट कहती है कि पैसे नहीं हैं , ऊपर से मिलेंगे तो दे देंगे। दिल्ली में सुपर बाजार की ब्रान्चों में कुल 2500 कर्मचारी हैं।"

हैदराबाद इन्डस्ट्रीज मजदूर : " मशीनें धारूहेड़ा भेज कर कम्पनी ने दो विभागों का काम वहाँ शुरू करवा दिया है। यहाँ इन विभागों के वरकरों की हालत बस स्टैन्ड पर खड़े इन्तजार करने वालों जैसी है। जहाँ मर्जी होती है वहाँ ले जा कर मैनेजमेन्ट लगा देती है।"

सुडट्रैक-इंडिया फोर्ज वरकर : "छापा पड़ा था , फाइल- वाइल उठा कर ले गये। तभी से यहाँ 6 सैक्टर से कई मजदूरों को 13/3 मथुरा रोड़ प्लान्ट में भेज दिया है। यहाँ 600 मजदूर हैं और वहाँ 900 , पर दोनों जगह सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं देते। महीने- भर काम के बदले 1100 से 1650 रुपये तक वेतन देते हैं। ई. एस.आई. कार्ड और पी.एफ. की पर्ची दोनों प्लान्टों में वरकरों को नहीं दी हैं।"

एस्कोर्ट्स मजदूर : " चाय भी चैन से नहीं पीने देते। सुपरवाइजर आवाज लगाने लग जाते हैं : चलो- चलो , काम करो ! फस्ट प्लान्ट की शॉकर डिविजन में जहाँ बैठ कर काम होता है वहाँ से स्टूल हटा लिये हैं और कहते हैं कि खड़े- खड़े काम करो। जबकि , पहले बाहर से कोई दौरे पर आते थे तब एक- दो दिन के लिये स्टूल हटाते थे और फिर खुद ही वापस रखवा देते थे।"

बाल की खाल

मैटल बॉक्स मजदूर : " 1990 में अपनी बकाया तनखाओं और बोनस के लिये हम दो वरकरों ने लेबर कोर्ट में केस डाले। दोनों मामलों में हमारे पक्ष में 1998 में फैसले हुये। लेकिन कोर्ट निर्णय के तीन साल बीत जाने के बाद भी हमें एक पैसा नहीं मिला है। कई जगह की भागदौड़ और पूछताछ के बाद हमें पता चला है कि जब तक कम्पनी बीमार के तौर पर बी.आई.एफ.आर. की छतरी के तले है तब तक अदालतों के आदेशों के बावजूद कम्पनी से दबाव डाल कर पैसे नहीं वसूले जा सकते का कानून है।"

ईस्ट इण्डिया कॉटन मिल वरकर : "लीडरों ने कहा कि चण्डीगढ़ से केस जीत गये हैं। सौ- सौ रुपये दो और फार्म भरो , हिसाब मिलेगा। मैंने पैसे दिये और फार्म भरा पर तीन महीने बीतने के बाद भी मुझे हिसाब नहीं मिला है। लीडरों से पूछता हूँ तो वे कुछ बोलते ही नहीं। कम्पनी का मामला बी.आई.एफ.आर. में है।"

झालानी टूल्स मजदूर : " बी.आई.एफ. आर. की छतरी तले बीमार कम्पनी को स्वस्थ करने के नाम पर 13 साल मैनेजमेन्ट ने खूब लूट मचाई — हमारी सर्विस- ग्रेच्युटी तक को खा गई। आखिरकार 17 जुलाई 2000 को बी.आई. एफ.आर. को कम्पनी वाइन्ड- अप करने , समाप्त करने का आदेश देना पड़ा। क्लोजर से पहले की लूट में लगी मैनेजमेन्ट ने अपील की और झूठ- फरेब की नई ऊँचाइयों को छूआ। तिकड़मबाजी- दर- तिकड़मबाजी आठ महीनों से ज्यादा टाइम और ले लिया पर हमारे दो- तिहाई पैसों को गड़प चुकी मैनेजमेन्ट बाकी बचे एक- तिहाई को ठिकाने लगाने की जुगत नहीं भिड़ा सकी। आखिरकार ए.ए.आई.एफ.आर. ने 27 मार्च को मैनेजमेन्ट की अपील डिसमिस कर दी। अब भी ' कुछ तो दे रही है ' की आड़ में उत्पादन जारी रख , हमारी सूखी हड्डियों से पैसे निचोड़ती हाई कोर्ट- सुप्रीम कोर्ट के जरिये हमारे बचे- खुचे पैसे हड़पने की साजिशें मैनेजमेन्ट रच रही है।"

कहानी-किस्से नहीं यह

बुजुर्ग : "मैं, मोती राम, 1923 में जन्मा था। 1947 की मार-काट में काफी-कुछ गँवा कर मैं रावलपिंडी से देहरादून आया। फिर अम्बाला और दिल्ली होते 1958 में फरीदाबाद पहुँचा। ईस्ट इंडिया कॉटन मिल में 8 साल नौकरी के बाद इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, के-स्ट्रीटलाइट, प्रेस्टोलाइट आदि फैक्ट्रियों में दो-चार महीने काम करने के बाद 1973 में मैं **अमेरिकन यूनिवर्सल** में लगा जिसका नाम अब **जी.ई. मोटर्स** है।

"इमरजैन्सी के दौरान बिना कोई नोटिस दिये 29.10.1976 को अमेरिकन यूनिवर्सल मैनेजमेन्ट ने मेरा गेट रोक दिया। मैंने श्रम विभाग में शिकायत की। 11.2.77 को मैनेजमेन्ट ने श्रम अधिकारी के सामने समझौते पर दस्तखत कर मुझे ड्युटी आने को कहा पर जब मैं फैक्ट्री गया तो मुझे ड्युटी पर नहीं लिया। मैंने फिर श्रम विभाग में शिकायत की।

"मेरी पीठ पीछे मैनेजमेन्ट, बी एम एस नेता लालचन्द और श्रम अधिकारियों ने उर्दू में मेरे फर्जी दस्तखत कर कोई समझौता किया। उस जालसाजी की आड़ ले कर ट्रिब्युनल ने मेरे द्वारा खुद नौकरी छोड़ने का फतवा दे दिया। मैंने पूरी सच्चाई वाला बयान एक वकील को लिखवाया और इन्साफ के लिये लेबर कोर्ट में केस दर्ज करने को कहा। वह वकील भी लालचन्द नेता जैसा निकला, उस वकील का नाम नहीं लिखें क्योंकि वह अब मर चुका है। वकील ने मेरा बयान कोर्ट में पेश ही नहीं किया और बकाया तनखा का उल्टा-पुल्टा मामला बना कर मैनेजमेन्ट से गोटी बैठा ली। केस खरिज की बात छिपा कर वकील काफी समय तक मुझे गुमराह करता रहा।

"मेरी रिटायर होने की उम्र भी निकल गई। मैंने 1985 में चण्डीगढ हाई कोर्ट में न्याय की गुहार की। अदालत ने मेरी मदद के लिये वकील दिया पर सुनवाई के वक्त वकील कुछ नहीं बोला और मुझे बोलने से मना कर जज ने फाइल उठा कर रख दी। नीलम-बाटा झुग्गियों में अकेला बसर करता, 78 वर्ष की उम्र में मैं इन्साफ का इन्तजार कर रहा हूँ।"

एसोसियेटेड इंजिनियर्स मजदूर : "मैं, अनिल कुमार, 1994 में 1350 रुपये महीना पर प्रेस ऑपरेटर के तौर पर भर्ती हुआ था। अब मुझे 1850 रुपये देते थे। फण्ड व ई.एस.आई. काटते थे — फण्ड के कभी 150, कभी 250, कभी 280 और कभी 300 रुपये काट लेते। फैक्ट्री में 40 वरकर हैं और मारुति के व एस्कोर्ट्स जे सी बी के शॉकर बनाते हैं। हैल्परों को 800-1000 रुपये और नये ऑपरेटरों को 1400-1500 रुपये देते हैं।

"12.2.99 को फैक्ट्री में काम करते समय एक्सीडेन्ट हुआ — पँच टूट कर मेरी आँख में घुस गया। मैनेजमेन्ट मुझे डॉ. भारती गुप्ता के पास ले गई तो उन्होंने ऑल इंडिया ले जाने को कहा। मेडिकल में हड़ताल देख सफदरजंग ले गये। वहाँ डॉक्टर बोले कि चुम्बक नहीं है, गुरू नानक नेत्र केन्द्र ले जाओ। दो ऑपरेशन के बाद 17.2.99 को मुझे गुरू नानक नेत्र केन्द्र से डिस्चार्ज किया।

"मैं चलने की हालत में नहीं था, नाक से लगातार पानी बह रहा था। मुझे फैक्ट्री ले गये और एक्सीडेन्ट रिपोर्ट भरी। मैं 1994 से काम कर रहा था पर बैक डेट से, एक्सीडेन्ट से चार दिन पहले की, 8.2.99 तारीख डाल कर मैनेजमेन्ट ने फैक्ट्री में रखा तीन महीने वाला ई.एस.आई. का कच्चा कार्ड बनाया। एक कर्मचारी को साहब बोले कि लोकल ऑफिस में एक्सीडेन्ट रिपोर्ट धीरे से डाल आओ ताकि कोई जान नहीं सके। चार महीने मेडिकल छुट्टी के बाद मैं ड्युटी करने लगा। ई.एस.आई. मेडिकल बोर्ड ने आँख में 40 प्रतिशत खराबी बता कर 22 रुपये 40 पैसे प्रतिदिन की पेन्शन दी।

"बहन की शादी थी, 17.2.2001 को छुट्टी ले कर मैं गाँव गया। लौट कर मैंने 14.3.2001 को दो घण्टे काम किया था कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने धक्के दे कर मुझे फैक्ट्री से निकलवा दिया। मैंने श्रम विभाग में शिकायत की है, दो तारीखों पर मैनेजमेन्ट पहुँची ही नहीं है।"

सूर्या फोरजिंग वरकर : "पृथला-दुधौला रोड़ स्थित फैक्ट्री में मैं, अशोक कुमार, कटर ऑपरेटर था। 30.1.2001 को काम करते समय लोहे का कण मेरी आँख में गिर गया। एक्सीडेन्ट रिपोर्ट नहीं भरी, फैक्ट्री में ही दवाई डाल दी। तकलीफ बढी। मैंने खुद पैसे दे कर प्रायवेट इलाज करवाया। लेकिन आँख की तकलीफ बढती गई तब 10 फरवरी को मुझे ई.एस.आई. कार्ड दिया। सैक्टर-8 ई.एस.आई. अस्पताल में मेरा इलाज शुरू हुआ। दाहिनी आँख बिलकुल खराब हो गई है और डॉक्टर ऑपरेशन की कहता है। मुझे मेडिकल छुट्टियों के पैसे ई.एस.आई. नहीं दे रही और डॉक्टर कहता है कि एक्सीडेन्ट रिपोर्ट भरवाओ नहीं तो ई.एस.आई. से मुआवजा भी नहीं मिलेगा। लेकिन कम्पनी एक्सीडेन्ट रिपोर्ट नहीं भर कर दे रही और उल्टे अफसर मुझे कहते हैं कि 'फैक्ट्री से बाहर चोट लगी' कह दो। मैंने दरबार में डी.सी. को शिकायत की तो उन्होंने उसे श्रम विभाग को भेज दिया। अब श्रम विभाग ने डी.सी को लिखा है कि यह उनके कार्यक्षेत्र में नहीं है क्योंकि ई.एस.आई. केन्द्र सरकार की है।"

अनुभव-विचार-अनुभव-विचार

बीको इंजिनियरिंग मजदूर : "कम्पनी ने प्रचार किया कि घाटा हो रहा है। लीडरों ने प्रचार किया कि कम्पनी बन्द हो जायेगी। कम्पनी ने प्रोडक्शन कम करवा दिया। इन प्रचारों और उत्पादन में ढीलेपन के बाद मैनेजमेन्ट ने वी.आर.एस. का नोटिस लगाया। व्हर्लपूल, आयशर आदि की धोखाधड़ियाँ हमारे सामने थी और आपस में हम ने चर्चायें भी काफी की। लेकिन फिर भी मैनेजमेन्ट-लीडर गिरोहबन्दी ने ऐसा माहौल बनाया कि इस्तीफों की झड़ी लग गई और 122 परमानेन्ट वरकरों में से 14 ही अब फैक्ट्री में बचे हैं। स्टाफ के भी 70 में से 40 चले गये। और सुनिये, अब एक नेता ने फैक्ट्री में आ कर मगरमच्छ के आँसू बहाते हुये कहा कि उसे इस सब का पता ही नहीं था।"

एस्कोर्ट्स वरकर : "23 मार्च को मशीनें बन्द करनी शुरू की और 27-28 मार्च से तो **फार्मट्रैक** प्लान्ट में उत्पादन लगभग पूरी तरह बन्द है। बहाना : रॉ मैटेरियल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में मैनेजमेन्ट ने दिल्ली से बसों में आते वरकरों को तीन दिन की अपनी छुट्टी लेने के बदले तीन दिन छुट्टी देने का कर के अप्रेल के पहले हफ्ते में उत्पादन की आवश्यकता नहीं है इस पर एक और पर्दा डाला है। दरअसल बिक्री के इन्तजार में खड़े 14 हजार ट्रैक्टरों की ऐसी गत हो रही है कि नैपको फैक्ट्री के ग्राउन्ड में खड़े कर रखे ट्रैक्टरों की ग्रीसिंग के लिये दो-तीन दिन से मैनेजमेन्ट कई असेम्बलरों को वहाँ भेज रही है। ऐसे में मैनेजमेन्ट जगह-जगह पँगे ले रही है। अदालत से जीत कर आई महिला कर्मचारी को एस्कोर्ट्स मेडिकल में परेशान करना भी मैनेजमेन्ट द्वारा पकाई जा रही कड़वी खिचड़ी का हिस्सा लगता है।"

पहेली नहीं है। आइये विचारें जिन्दा-मुर्दा जिन्दगियों की नजर से।

1 + 1 + 1 = 3
1 + 1 + 1 = 1
1 + 1 + 1 = 0
1 + 1 + 1 = −10
1 + 1 + 1 = 45
1 + 1 + 1 = 121

मजदूर समाचार में साझेदारी के लिये:

✶ अपने अनुभव व विचार इसमें छपवा कर चर्चाओं को कुछ और बढवाइये। नाम नहीं बताये जाते और अपनी बातें छपवाने के कोई पैसे नहीं लगते।

✶ बाँटने के लिये सड़क पर खड़ा होना जरूरी नहीं है। दोस्तों को पढवाने के लिये जितनी प्रतियाँ चाहियें उतनी मजदूर लाइब्रेरी से हर महीने 10 तारीख के बाद ले जाइये।

✶ बाँटने वाले फ्री में यह करते हैं। सड़क पर मजदूर समाचार लेते समय इच्छा हो तो बेझिझक पैसे दे सकते हैं। रुपये-पैसे की दिक्कत है।

महीने में एक बार छापते हैं और 5000 प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें और अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी,
आटोपिन झुग्गी,
एन.आई.टी. फरीदाबाद—121001

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए
जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। सौरभ लेजर टाइपसैटर्स बी—546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।